झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-1

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक. 24 फाल्गुन, 1937(श0) ..... को 14 मार्च 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2	3.	4.	5.	6.
173-	अ0सू0-11	श्री बिरंची नारायण	वर्णवाल जाति को ओ0वी0सी0 की सूची में रखना।	कार्मिक प्रशासनिक सु0तथा राजभाषा	10.02.16
174-	अ0सू0-18	श्री अरूप चटर्जी	दोषी पर कार्रवाई।	वाणिज्यकर	10.02.16
175-	अ0सू0-34	श्री प्रदीप यादव	इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा देना।	वाणिज्यकर	17.02.16
176-	अ0सू0-25	श्री अशोक कुमार	बजट में विशेष प्रावधान करना।	योजना सह वित्त	13.02.16
177-	अ0सू0-35	श्री पौलुस सुरीन	जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करना।	कार्मिक प्रशा0 सु0तथा राजभाषा	22.02.16
178-	अ0सू0-47	श्री योगेन्द्र प्रसाद	बेरमो को जिला का दर्जा	कार्मिक प्रशा0 सु0तथा राजभाषा	08.03.16
179-	अ0सू0-42	श्रीमती विमला प्रधान	ऑन लाइन प्रणाली में सुधार।	मंत्रिमंडल सचि0 एवं निगरानी	02.03.16
180-	अ0सू0-46	श्री आलमगीर आलम	वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान।	योजना सह वित्त	03.03.16

उत्तर संलग्न 181-अ0सू0-48	श्री विकास कुमार मुंडा	दोषियों को सजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	09.03.16
उत्तर संलग्न 182-अ0सू0-12	श्री राधाकृष्ण किशोर	नई पुलिस अधिनियम का निर्माण।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.16
उत्तर संलग्न 183-अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	विकासोन्मुख योजना का निर्माण।	योजना सह वित्त	05.02.16
उत्तर संलग्न 184-अ0सू0-41	श्री अनन्त कु0 ओझा	उम्र सीमा में बढ़ोतरी	कार्मिक प्रशा0 सु0तथा राजभाषा	29.02.16
उत्तर संलग्न 185-अ0सू0-43	श्री रामकुमार पाहन	भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधक	03.03.16
उत्तर संलग्न 186-अ0सू0-44	श्री राजकुमार यादव	सुखाड़ के लिए राहत की स्वीकृति।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	04.03.16
उत्तर संलग्न 187-अ0सू0-23	श्री प्रदीप यादव	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.02.16
उत्तर संलग्न 188-अ0सू0-26	श्री रामकुमार पाहन	मुआवजे का भुगतान	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.02.16
उत्तर संलग्न 189-अ0सू0-45	श्री अमित कुमार	क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान।	कार्मिक प्रशा0 सु0 तथा राजभाषा	03.03.16

रॉंची,
दिनांक- 14 मार्च, 2016 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0-03/15.....2182...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 11/03/16

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0मुख्यमंत्री/मा0मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/16
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0-03/15.....2182...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 11/03/16

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/16
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

निरंजन

11.03.16

बरनवाल जाति को ओ०बी०सी० की सूची में रखना ।

173. श्री बिरंची नारायण--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैश्य समाज की मोदी जाति भारत सरकार के ओबीसी लिस्ट में शामिल है;

(2) क्या यह बात सही है कि वैश्य समाज की मोदी और बरनवाल जाति वस्तुतः एक ही जाति है, जिनका रहन सहन, खान-पान, संस्कृति भी एक ही है, परन्तु सर्वे के दरम्यान भूलवश खतियान में जिनका नाम व जाति बरनवाल ही दर्ज हो गयी थी, उनको भारत सरकार के ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित तथ्य के आलोक में मोदी के समतुल्य बरनवाल जाति के लोगों को उक्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मोदी जाति के समतुल्य बरनवाल जाति को भी ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करने का विचार करती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

मोदी जाति झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के क्रमांक 122 पर सूचीबद्ध है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

बरनवाल जाति के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर ओबीसी की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

तथापि मोदी जाति के लोग जिनके खतियान में भूलवश बरनवाल दर्ज है, उनके जाति का निर्धारण परिपत्र सं०-1853 दिनांक 26 फरवरी, 2015 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से किया जा सकता है ।

(3) अस्वीकारात्मक ।

(4) उपर्युक्त कंडिका-1, 2 एवं 3 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका-4 का कोई औचित्य नहीं है ।

दोषी पर कार्रवाई ।

174. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में बिचौलियों के माध्यम से वाणिज्य-कर की धड़ल्ले से चोरी हो रही है, जिससे चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्य-कर विभाग को मिले 1268 करोड़ रुपये के वसूली के लक्ष्य में अभी तक मात्र 700 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर पाये हैं;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा जाँच कराकर दोषियों पर तथ्यात्मक कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) प्रश्न अस्वीकारात्मक ।

धनबाद प्रमण्डल के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु० 1412.70 करोड़ निर्धारित है, के विरुद्ध जनवरी, 2016 तक 743.37 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है ।

(2) कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

---

(175)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संं0– अ0सू0–34 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने दिनांक 29.09.2015 को दिनांक 1.4.2015 के प्रभाव से झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (VAT) अधिनियम में, झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 के द्वारा राज्य के विनिर्माण व्यवसायियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा समाप्त कर दी गई है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। अधिसूचना संख्या– एल0जी0 35/2015–99/लेज एवं एल0जी0 35/2015– 100/लेज दिनांक 23.09.2015 तथा अधिसूचना संख्या– एल0जी0 35/2015–30/लेज एवं एल0जी0 35/2015–31/लेज दिनांक 08.02.2016 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य के विनिर्माण व्यवसायियों को प्रदत्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) की सुविधा समाप्त नहीं की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के बाहर बिक्री किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा पूर्ववत अनुमान्य है, सिर्फ केन्द्रीय बिक्री कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रचलित कर दर अर्थात् 2% तक सीमित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वैट अधिनियम की धारा–14(4), 18(8) (Xviii) के द्वारा जो इनपुट क्रेडिट की सुविधा समाप्त की गई है, वह 2005 में राज्यों के वित्त मंत्रियों के सहमति प्राप्त VAT White Paper के कंडिका 2.1,2.2,2.3,2.4,2.18, 4.3 का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है ?	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 18 मे किये गये संशोधन से राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति प्राप्त VAT White Paper की कंडिका 2.1,2.2,2.3,2.4,2.18, 4.3 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि White Paper एवं Model VAT Act प्रारूप मे सन्निहित प्रावधानों को झारखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था एवं राज्य के राजस्व पर पड़नेवाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया गया है।
3	क्या उक्त संशोधनों से राज्य में पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहे उद्योग धंधे को बंद करने का कुत्सित प्रयास नहीं है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसे पुनः लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर के आलोक मे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक– वा॰कर0/वि॰सं/05/2016 949 /राँची, दिनांक– 10/3/16

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 1023 दिनांक 17.02.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.16

वाणिज्य–कर अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
झारखण्ड, राँची।

(176)

श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–25 की उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछड़े वर्गों के समुचित आर्थिक–सामाजिक विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलायी जाती है;	स्वीकारात्मक। पिछड़े वर्गों के समुचित आर्थिक–सामाजिक विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लिया जाता है, जिसकी विवरणी संलग्न है (अनुसूची–1)।
2.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न पिछड़े वर्गों के हितो को ध्यान में रखते हुए राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, ताकि उन वर्गों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जा सके,	स्वीकारात्मक। संकल्प की प्रति अनुलग्नित (अनुसूची–3)
3.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न वर्गों एवं तबको के आर्थिक सामाजिक विकास एवं हितो को पूरा करने के उद्देश्य से बजट में विशेष प्रावधान किए जाते हैं;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, राज्य में पिछड़े वर्गों के समुचित आर्थिक–सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट में पिछड़े वर्गों के समुचित आर्थिक–सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रस्ताव अर्न्तनिहित है, जिसकी विवरणी संलग्न है (अनुसूची–2)।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–10/वि0स0 (4)-08/2016 44/वि.स. **रॉची, दिनांक** 11/3/2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.16

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

Welfare

Budget Provisions for the Year 2015-16:- for OBC

(अनुसूची–1)

(Rs. In Lakh)

Sl. No.	Name of Scheme	Annual Plan 2015-16					
		Total Outlay	State	Central	Flow to TSP	Flow to SCSP	Flow to OSP
A.	**State Plan Scheme**						
(a)	**Continuing Scheme**						
	Welfare of OBC						
1	Maintenance of Residential School	200.00	200.00		110.00		90.00
2	Cycle Scheme for Boys & Girls Student	4000.00	4000.00		1200.00		2800.00
3	Educatiion-Establishment of Computer and TV in Residensial School	150.00	150.00		75.00		75.00
4	Post Martic-Entrance Scholarship (including 2% administrative expenses)	11200.00	11200.00		5100.00		6100.00
5	High School Scholarship	3700.00	3700.00		1600.00		2100.00
6	Education-Maintenance of Hostels, Utensil, Equipment and T.V.	30.00	30.00		10.00		20.00
7	Education-Medical Aid	50.00	50.00		20.00		30.00
8	Middle/Primary School Scholarship	6200.00	6200.00		2700.00		3500.00
9	Sports Scholarship	25.00	25.00		10.00		15.00
10	Backward Class VocationalTraining	200.00	200.00		50.00		150.00
11	Residential School Bag, Shoes, Shocks	10.00	10.00		5.00		5.00
12	Backward Class Development Corporation Assistance Grants	50.00	50.00		50.00		0.00
13	Re-imbursement of Examination Fees	200.00	200.00		50.00		150.00
14	Subsidy to Support Income Generating Assets	450.00	450.00		450.00		0.00
15	Renovation of Hostel	150.00	150.00		50.00		100.00
16	Renovation and Construction of Residential School	350.00	350.00		175.00		175.00
17	Maintenance of New Hostels	100.00	100.00		50.00		50.00
B.	**Centrally Sponsored Schemes (CSS)**						
(a)	**Continuing Scheme**						
	Scheme for Development for OBC (50:50)						
5	i) Pre matric Scholarship OBC)	800.00	400.00	400.00	400.00		400.00
6	ii)Hostel for OBC Boys & Girls Major Work	690.00	345.00	345.00	170.00		520.00
	CSPS						
1	Scheme for the Development OBC (100%)	2150.00		2150.00	1190.00		960.00
	Grand Total	**30705.00**	**27810.00**	**2895.00**	**13465.00**		**17240.00**

Welfare

Budget Proposal for the Year 2016-17:- for OBC

(अनुसूची–2)

(Rs. In Lakh)

Sl. No.		Annual Plan 2016-17						
		Total Outlay	State	Central	Flow to TSP	Flow to SCSP	Flow to OSP	Flow to WSP
A.	**State Plan Scheme**							
(a)	**Continuing Scheme**							
	Welfare of OBC							
1	Maintenance of Residential School	260.00	260.00		160.00	0.00	100.00	30.00
2	Cycle Scheme for Boys & Girls Student	7200.00	7200.00		2250.00	0.00	4950.00	3000.00
3	Educatiion-Establishment of Computer and TV in Residensial School	4.00	4.00		2.00	0.00	2.00	
4	Post Martic-Entrance Scholarship (including 2% administrative expenses)	18000.00	18000.00		9400.00	0.00	8600.00	9000.00
5	High School Scholarship	4300.00	4300.00		1800.00	0.00	2500.00	2000.00
6	Education-Maintenance of Hostels, Utensil, Equipment and T.V.	30.00	30.00		10.00	0.00	20.00	
7	Education-Medical Aid	80.00	80.00		30.00	0.00	50.00	40.00
8	Middle/Primary School Scholarship	6200.00	6200.00		2700.00	0.00	3500.00	3000.00
9	Sports Scholarship	35.00	35.00		15.00	0.00	20.00	
10	Backward Class VocationalTraining	200.00	200.00		50.00	0.00	150.00	100.00
11	Residential School Bag, Shoes, Shocks	10.00	10.00		5.00	0.00	5.00	
12	Backward Class Development Corporation Assistance	50.00	50.00		50.00	0.00	0.00	20.00
13	Re-imbursement of Examination Fees	200.00	200.00		50.00	0.00	150.00	100.00
14	Subsidy to Support Income Generating Assets	450.00	450.00		450.00	0.00	0.00	100.00
15	Renovation of Hostel	150.00	150.00		50.00	0.00	100.00	
16	Renovation and Construction of Residential School	200.00	200.00		100.00	0.00	100.00	50.00
17	Maintenance of New Hostels	100.00	100.00		50.00	0.00	50.00	
	Sub Total (Continuing Schemes)	**37469.00**	**37469.00**	**0.00**	**17172.00**	**0.00**	**20297.00**	**17440.00**
B.	**Centrally Sponsored Schemes (CSS)**							
(a)	**Continuing Scheme**							
	Scheme for Development for OBC (50:50)							
1	i) Pre matric Scholarship OBC)	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	25.00
2	ii)Hostel for OBC Boys & Girls Major Work	500.00	250.00	250.00	170.00	0.00	330.00	
	Sub Total	**1300.00**	**650.00**	**650.00**	**570.00**	**0.00**	**730.00**	**25.00**
	CSPS (100%)							
1	Scheme for the Development OBC	2400.00		2400.00	1300.00	0.00	1100.00	1000.00
	Grand Total	**41169.00**	**38119.00**	**3050.00**	**19042.00**	**0.00**	**22127.00**	**18465.00**

अनुसूची - 3

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

संख्या-7/जा0नि0(पि0व0)-03/2001.....6196..दिनांक-12/11/2002 ई0 ।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के भाग 10 (विधिक एवं विविध उपबंधो) की धारा-85 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य में दिनांक 15.11.2000 के ठीक पहले तक लागू पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग अधिनियम 1993 (बिहार अधिनियम-12 सन-1993) को झारखण्ड राज्य में इसके निहितार्थो के लिए निम्नलिखित संशोधनों के साथ दिनांक 15.11.2000 के प्रभाव से अंगीकृत करती है ।

(i) उक्त उल्लिखित अधिनियम में जहॉ-जहॉ "बिहार", "बिहार राज्य" या पटना शब्दों का उल्लेख है वहॉ-वहॉ क्रमशः "झारखण्ड", "झारखण्ड राज्य" या रॉची शब्दों को प्रतिस्थापित समझा जाय ।

(ii) यह अधिनियम पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग अधिनियम 2002, कहा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
12-11-2002
(सुशील कुमार चौधरी),
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/जा0नि0(पी0व0)-03/2001 का0 6196 /रॉची, दिनांक-12 नवम्बर,2002 ई0 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रॉची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियॉ कार्मिक, प्र0सु0 एवं राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायी जायें ।

12.11.2002
सरकार के सचिव ।

जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना ।

177. श्री पौलुस सुरीन--क्या मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधानानुसार खंडित ''पाईक'' जाति भुईयां जाति के अंग है, लेकिन उन्हें, जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड कार्यालयों से अ०ज०जा० का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं की जाती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाईक (भुईयां) जाति को अ०ज०जा० का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) प्रश्न अस्वीकारात्मक ।

''भुईयां'' जाति, झारखण्ड की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 4 पर दर्ज है ।

(2) ''पाईक'', ''खण्डित'' एवं ''खण्डित पाईक'' जाति को भुईयां के उपजाति के रूप में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव के समर्थन में और भी औचित्य एवं अनुशंसा की मांग की गई । पत्र सं०-8821 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त मंतव्य प्रेषित किया जा चुका है । भारत सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं है ।

जब तक ''पाईक'', ''खण्डित'' एवं ''खण्डित पाईक'' जाति भुईयां की उपजाति के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक इन्हें अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सकता है ।

---

(178)

माननीय स०वि०स० श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–47 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बेरमो अनुमंडल की स्थापना 1972 में हुआ था जिसका मुख्यालय 1975 में तेनुघाट स्थानांतरित किया गया तथा यह अविभाजित बिहार के सबसे पुराना अनुमंडल है जो जिला बनने की सभी अर्हत्ता पूरा करता है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस अनुमंडल अन्तर्गत प्रखण्डों की संख्या–7 एवं थाना 17 है तथा यहाँ व्यवहार न्यायालय, उपकारा, ट्रेजरी भी है,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बनने के बाद जितने जिले बने हैं वे सभी बेरमो अनुमंडल की अर्हत्ता से कम है तथा बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त, बोकारो को जिला बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है,	बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त, बोकारो को इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–16/2016 का०–2254/राँची, दिनांक– 11/3/16

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2077, दिनांक–08.03.16 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.03.16

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

(180)

श्री आलमगीर आलम, स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ॰सू॰–46 का उत्तर सामग्री :–

क्र॰सं॰	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 01.01.2006 से लागू छठे वेतनमान् के आधार पर केन्द्र सरकार के मृत कर्मियों के परिवार को देय परिवार पेंशन के अनुरूप राज्य सरकार ने भी अपने मृत कर्मियों के परिवार को परिवार पेंशन देने का प्रावधान लागू किया है और उसी के अनुरूप राज्य सरकार के मृत कर्मियों के आश्रितों को वर्द्धित दर पर देय परिवार पेंशन की अवधि को सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के वैसे मृत कर्मी जिनकी मृत्यु दिनांक 01.01.06 से पहले हो गई थी और उनका परिवार दिनांक 01.01.06 की तिथि को वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन पर रहा था, छठे वेतनमान् में उनके भी वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की अवधि को सात साल बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है परन्तु यह प्रावधान झारखण्ड सरकार में लागू नहीं किया जा सका है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित प्रावधान राज्य सरकार में लागू करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मामला प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक :......45/वि॰स॰.../ रॉंची, दिनांक :..11/3/16..............

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके 1975, वि॰स॰ दिनांक 03.03.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11.03.16

(अविनाश कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव

(181)

श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सदर थाना राँची में कांड संख्या–155 / 14,156 / 14,157 / 14 दर्ज हुआ था जो एक आदिवासी को जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने एक महिला पदाधिकारी से छेड़खानी एवं जानलेवा हमला करने के साथ ही एक पुलिस पदाधिकारी पर जानलेवा हमला करने से संबंधित है ;	स्वीकारात्मक
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार काण्ड के दोषियों को सजा देने एवं दोषियों को संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पर्यवेक्षणोपरांत उक्त तीनों काण्ड अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाये गये है। प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर प्रर्यवेक्षण के क्रम में दिये गये निदेश पर जांचोपरांत निर्णय लिया जायेगा। पुलिस अधीक्षक नगर, राँची के प्रतिवेदन 2 में भी उक्त तीनों कांडो की प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर जाँच करने हेतु निर्देश दिये गये है। वर्तमान में उक्त तीनों कांड अनुसंधान अन्तर्गत है। अनुसंधान उपरांत दोषी पाये गये अभियुक्तों के विरूद्ध विधि सम्मत् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–09 / 2015 1479 / राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2124, दिनांक–09.03.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(182)

श्री राधकृष्ण किशोर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 49 सिफारिशों को झारखण्ड सहित विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये सिफारिशों के आलोक में पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु नई पुलिस अधिनियम बनाना चाहती है ;	झारखण्ड पुलिस अधिनियम के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–101 / 2016 1431 / राँची, दिनांक– 11 /03/ 2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–294, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

183

श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–03 की उत्तर सामग्री

<table>
<tr><th>क0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य का प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अत्यन्त कम है, एक साथ गठित हुए झारखण्ड राज्य का प्रतिव्यक्ति आय 46138 रूपए प्रतिवर्ष है, जबकि छतीसगढ़ और उत्तराखण्ड का प्रति व्यक्ति आय कमशः 64442 रूपए और 115632 रूपए प्रतिवर्ष है;</td><td>स्वीकारात्मक।
<table>
<tr><th>राज्य</th><th>वर्ष</th><th>प्रति व्यक्ति आय (रू0)</th></tr>
<tr><td>झारखण्ड</td><td>2013-14 (Q)</td><td>46131</td></tr>
<tr><td>छतीसगढ़</td><td>2013-14 (Q)</td><td>58297</td></tr>
<tr><td>उत्तराखण्ड</td><td>2013-14 (Q)</td><td>103349</td></tr>
<tr><td>भारत वर्ष</td><td>2013-14 (Q)</td><td>74380</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण कय शक्ति भी कम है;</td><td>अंशतः स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि लाने हेतु कौन सी योजना बनाना चाहती है, नहीं तो क्यों ?</td><td>राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से आयोत्पादक रोजगारोन्मुखी योजनाएँ (केन्द्रीय / राज्य) संचालित की जा रही है। इसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित भी हो रहा है।
प्रचलित मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति आय 59,114 रुपये अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के 52,147 रुपये की तुलना में 13.36 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2004–05 में झारखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय 18,510 रूपये था जो वर्ष 2015–16 में 59,114 रूपये अनुमानित है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–10 / वि0स0 (4)-05/2016........ **रॉची, दिनांक**....11/3/16........

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.03.16

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(184)

माननीय श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–41 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पाँचवी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा सम्पन्न करायी गयी है और छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है, जबकि राज्य गठन हेतु 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुके है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है, कि छठीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों का 01.08.2010 कट ऑफ डेट तय करते हुए आयु सीमा निर्धारित की गयी है, जो कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने सत्र को ठीक करने के लिए किया गया है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
विभागीय संकल्प संख्या–8315 दिनांक–16.09.2015 द्वारा छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के Upper Age Limit की गणना हेतु 01.08.2010 एवं Lower Age Limit की गणना हेतु 01.08.2015 को कट–ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है, कि अन्य राज्य यथा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तराखण्ड में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष एवं ओ0बी0सी0 अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 43 निर्धारित की गयी है;</td><td>अन्य राज्यों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर वर्ष 2015 तक के लिए एक संयुक्त (Combined) असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा कराने तथा सामान्य वर्ग हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तथा ओ0बी0सी0 वर्ग हेतु 43 वर्ष करने और कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञप्ति में उम्र सीमा वर्ष 2005 के अनुसार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?</td><td>राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 द्वारा निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है –
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>कोटि</th><th></th><th>विकलांगों के लिए</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनारक्षित</td><td>35</td><td>40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग</td><td>37</td><td>42</td></tr>
<tr><td>3</td><td>महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)</td><td>38</td><td>43</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)</td><td>40</td><td>45</td></tr>
</table>
भूतपूर्व सैनिकों (EX-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 5 वर्षो की छूट।
उपर्युक्त प्रावधान छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं पर लागू है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0(अ0सू0प्र0)–01–05 / 2016 का0 2048 / राँची, दिनांक– 08/03/2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं0–1716 दिनांक–29.02.2016 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.16

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

श्री रामकुमार पाहन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम आनंदी डुमरटोली में स्थित खाता नं०–201, प्लॉट नं०–1630 रकवा 78 डी०, प्लॉट नं०–1631 रकवा 101 डी० प्लॉट नं०–1641 रकवा 0.09 डी० जमीन लियाकत अंसारी के नाम से है और इस जमीन पर पूर्वजो के समय से खेती करते आ रहे है ;	अस्वीकारात्मक। ग्राम–आनंदी (डुमरटोली) में स्थित खाता नं०–201, प्लॉट नं०–1630 रकवा 78 डी०, प्लॉट नं०–1631 रकवा 101 डी० प्लॉट नं०–1641 रकवा 0.09 डी० पंजी–II में रैयत शेख हैदर वगैरह के नाम से दर्ज है एवं खतियान में शेख हैदर व शेख दीनू, पेशरान शेख बनसू के नाम से दर्ज है। ये जमीन पर पूर्वजो के समय से खेती करते आ रहे है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में उपर्युक्त प्लॉट के बगल में खाता नं०–1631 एवं 1641 की जमीन के साथ गैरमजरूआ जमीन है, जिसपर कथित भूमाफियाओं के द्वारा गैर मजरूआ जमीन हड़पने की साजिश कर रैयतों की खेत में आने–जाने का रास्ता बंद कर इन्हें जमीन बेचने को वाध्य किया जा रहा है, और ऐसा नही करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्राम–आनंदी के खाता नं०–201 के प्लॉट नं०–1631 एवं 1641 की जमीन के बगल में खाता नं०–204 प्लॉट नं०–1627, 1629 खतियान में गैरमजरूआ मालिक किस्म परती गड्ढ़ा दर्ज है। दिनांक–20.02.2016 को ओरमाँझी थाना को प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में जाँच घटना स्थल पर उक्त खाता एवं प्लॉट पर जाकर किया गया, जहाँ पर कुछ मजदूर चहारदिवारी निर्माण का कार्य कर रहे थे। मजदूरों द्वारा बताया गया कि यह कार्य कॉपरेटिव सोसाईटी द्वारा कराया जा रहा है। कोई भी निर्माण कराने वाला घटना स्थल पर नहीं पाया गया। हो रहे निर्माण कार्य पर तत्काल थाना प्रभारी, ओरमांझी द्वारा रोक लगा दिया गया है। वर्त्तमान में रास्ता खुला हुआ है।
3	क्या यह बात सही है कि रैयतो द्वारा इसकी सूचना स्थानीय थाना प्रभारी ओरमांझी को दिनांक–20.02.2016 को लिखित जानकारी दी गई है, जिसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आवेदन के आलोक में हो रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया गया।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त रैयतों के जानमाल की सुरक्षा करते हुए भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मो0 सज्जाद अंसारी की जानमाल की सुरक्षा हेतु थाना प्रभारी ओरमांझी को निर्देशित किया गया है। स्थिति पर थाना स्तर से सख्त निगरानी रखी जा रही है। भू–माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०(04)–15 / 2016/1332 राँची, दिनांक–12/03/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1976, दिनांक–03.03.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

186

श्री राजकुमार यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–44 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में कम वर्षा होने के कारण धान की फसल तथा रबी फसलों का नुकसान हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सुखाड़, 2015 में खरीफ फसलों की क्षति हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार किसानों को राहत के लिए सुखाड़ व अकाल राहत की घोषणा की है ;	स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये जाँच टीम में पूरे राज्य का दौरा कर यह बात स्वीकार किया है कि राज्य में सुखाड़/अकाल जैसी स्थिति है ;	केन्द्रीय दल द्वारा दिनांक–18–20 दिसम्बर, 2015 तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फसल क्षति के आकलन हेतु परिभ्रमण कर भारत सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के किसानों को सुखाड़/ अकाल जैसे स्थिति से बचाव के लिए राहत देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हाँ । आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा SDRF के मद एवं मापदण्ड के अनुसार निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है:– 1. कृषि इनपुट अनुदान हेतु अब तक उपायुक्त, खूँटी, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, पलामू, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, चतरा, रामगढ़ एवं लोहरदगा को कुल–110,77,42,163/– (एक सौ दस करोड़ सतहत्तर लाख ब्यालीस हजार एक सौ तिरसठ) रूपये मात्र की राशि आवंटित की गई है । अन्य जिलों से अधियाचना प्राप्त होते हीं शेष राशि का आवंटन दे दी जायेगी । 2. पेयजल समस्या के समाधान हेतु नगर विकास विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कुल–86,44,04,410/– (छियासी करोड़ चौवालीस लाख चार हजार चार सौ दस) रूपये की राशि आवंटित कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07/गृ०का०आ०(विधायी)–24/2016–326...../आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या– 2013, दिनांक–04.03.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(187)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के ग्राम– बलिया, थाना–बिरनी में दिनांक–05.11.2014 को 19 वर्षीय दीपा कुमारी का बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त हत्या का बिरनी थाना में **FIR No-2013/14** दिनांक–05.11.2014 को केस दर्ज होने एवं फोरेसिंक रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् भी स्थानीय थाना बलात्कारी को गिरफ्तारी कर सैंपल मिलान जानबुझ कर नहीं करा रही है;	अस्वीकारात्मक। संदेही अभियुक्त विष्णुकांत पाण्डेय, पिता–अनन्त कुमार पाण्डेय, 2. विकास राय, पिता–बुधन राय, 3. मन्टू कुमार वर्मा, पिता–टहल महतो, 4. शांतनु कुमार सिंह, पिता–यशवंत नाराण सिंह, साकिन–पोखरिया का **Blood** का नमूना माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत प्राप्त कर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, जो कि अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब दोषियों को गिरफ्तार कर सैंपल मिलान कर पिड़िता को न्याय दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची से संदेही के भेजे गये **Blood** का नमूना का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा मृतका दीपा कुमारी का **Blood and Semen** का मिलान होने पर संदेही अभियुक्तों के विरूद्ध साक्ष्यानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–04 / 2016 1438 / राँची, दिनांक–11 /03/ 2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–294, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

188

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2016
को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित राजाउलातु गाँव के देवेन्द्र खंडित नामक व्यक्ति की मृत्यु बज्रपात से हो गयी थी ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि बज्रपात से मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को अबतक मुआवजा नहीं दिया गया है ;	उपायुक्त, राँची के पत्रांक–20(i)/रा०, दिनांक–19.01.2016 से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या–51(आ०), दिनांक–03.02.2016 के द्वारा मृतक (देवेन्द्र खंडित) के आश्रित हेतु 4,00,000/– (चार लाख) रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बज्रपात से मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त खण्ड–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–14/2016–319/आ०प्र०, राँची, दिनांक–11/03/16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–890, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(189)

माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू-45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि UPSC एवं अन्य राज्यों की सेवाओं में सामान्य कोटि के अभ्यार्थियों की नियुक्ति में आरक्षित कोटि में क्षैतिज आरक्षण का प्रवधान लागू नहीं किया गया है;	राज्य सरकार को विशिष्ट सूचना नहीं है।
02	क्या यह बात सही है कि राज्य की नियुक्तियों में क्षैतिज आरक्षण आरक्षित कोटि के अभ्यार्थियों पर लागू किया जा रहा है;	वस्तु स्थिति यह है कि संकल्प संख्या-5776, दिनांक-10.10.2002 के आलोक में निःशक्त जन कोटि 3 प्रतिशत, महिला के लिए 5 प्रतिशत तथा खेलकूद कोटा के लिए 2 प्रतिशत पद क्षैतिज आरक्षण के आधार पर भरे जाते हैं। यह आरक्षण अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के लिए समान रूप से लागू है। राज्य सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिशानिदेश का अनुपालन करते हुए क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था की गई है। चयनित अभ्यर्थी यदि अनारक्षित कोटि के हों, तो उसे अनारक्षित कोटि में और यदि आरक्षित वर्ग के हों, तो उन्हें संबंधित आरक्षित कोटि में चयनित माना जाता है।
03	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरक्षित कोटि के अभ्यार्थियों को सामान्य कोटि में चयन की स्थिति में क्षैतिज आरक्षण के नियमों का अनुपालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मेधा क्रम में आने वाले अनारक्षित श्रेणी और आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थियों जिनकी अनुशंसा अनारक्षित श्रेणी में की जाती है तथा जिनकी अनुशंसा आरक्षित श्रेणी में की जाती है, दोनों ही स्थिति में क्षैतिज आरक्षण समान रूप से लागू है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक-14/झा0वि0स0-07-30/2016का0-.....2216...../रांची, दिनांक 11/3/16

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या-1974 दिनांक 03.03.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।